

न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद-329/2013

अरविन्द कुमार साह.....वादी

बनाम

बिहार सरकार वगैरह.....प्रतिवादीगण

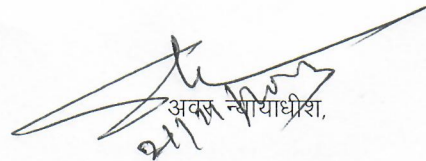
आदेश

21.11.23 अभिलेख आज प्रतिवादी सं०-1 की ओर दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक-12.05.2023 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर दिनांक-09.10.2023 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी सं०-1 ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि वादी द्वारा दाखिल वर्तमान वाद खारिज किए जाने योग्य है, चूंकि वादपत्र कोई वाद-कारण प्रदर्शित नहीं करता है और उचित माध्यम से धारा-80 सी०पी०सी० की प्रावधानों का अनुपालन न करते हुए सरकार को पक्षकार बनाया जाना वाद को वर्जित करता है। अतः वादपत्र खारिज करने की कृपा की जाए।

अपने प्रत्युत्तर में वादी ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद उभय पक्षों की सुनवाई पश्चात् वादी साक्ष्य समाप्ति की ओर अग्रसर है और धारा-80 सी०पी०सी० की नोटिस का तामिला निबंधित डाक से पूर्ण होने के पश्चात् दो माह की अवधि बीत जाने पर वर्तमान मुकदमा लाया गया है। उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत प्रतिवादपत्र में दिए गए बचाव या प्रतिरक्षा को वाद खारिजी का आधार नहीं बनाया जा सकता है और उपरोक्त आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रतिवादीगणों के विरुद्ध वादपत्र के मद सं०-1 में उल्लिखित भूमि के निस्वत हकियत की उद्घोषणा तथा निषेधाज्ञा के अनुतोष के साथ दाखिल किया गया है। वादपत्र की कंडिका-2 में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि वाद-कारण के संबंध में धारा-80 सी०पी०सी० की नोटिस अंचलाधिकारी, मोहिउद्दीन नगर को दी गई थी जो अभिलेख पर बतौर प्रदर्श-1 वादी साक्ष्य के रूप में दाखिल है। उस नोटिस की तिथि दिनांक-15.06.2013 स्पष्ट है साथ में निबंधन रसीद भी संलग्न है। अतएव नोटिस तामिला न होने के आधार पर वादपत्र खारिजी का कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है, चूंकि वादी साक्ष्य समाप्त होने को है। अतएव प्रतिरक्षा के आधार पर वाद की पोषणीयता के संबंध में प्रारम्भिक विवादयक का गठन किया जाना युक्तियुक्त नहीं है अपितु न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि वादी का वादपत्र दिवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 में उल्लिखित किसी प्रावधान से तत्काल वर्जित नहीं है। तदनुसार उपरोक्त आवेदन खारिज किया जाता है और अभिलेख को पुनः वादी साक्ष्य हेतु दिनांक- 16-01-2024 को नियत किया जाता है।


अवर न्यायाधीश,